मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2020/ 776 दिनांक– 21/08/2020.

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/संचालक/प्राचार्य,
(समस्त निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं)
मध्यप्रदेश।

विषय– प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के आगामी ब्लॉक के अर्थात् सत्र 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के शुल्क विनियमन हेतु शपथ पत्र बेवसाईट पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

***

निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा सत्र 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के शुल्क विनियमन हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव समिति, सचिवालय के बेवपोर्टल पर प्रस्तुत किये गये हैं। वर्तमान में पाठ्यक्रमों में प्रवेश की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कतिपय संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम हेतु आगामी सत्र के लिये कोई शुल्क प्रस्तावित नहीं की गई है या संस्थाओं द्वारा सत्र 2019–20 तक के लिये विनियमित किये गये शुल्क को आगामी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सत्रों के लिये यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः ऐसी समस्त संस्थाएं जो पूर्व में निर्धारित शुल्क को आगामी ब्लॉक के लिये यथावत रखना चाहती हैं, वे संलग्न शपथ पत्र अपने कार्यालयीन लेटर हेड पर सील एवं हस्ताक्षर सहित बेवपोर्टल पर दिनांक 27.08.2020 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें तथा मूलप्रति डाक द्वारा प्रेषित करें।

संलग्न–शपथ पत्र।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी

पृ.क्रमांक/सचि./ओएसडी/2020/ दिनांक –

प्रतिलिपि–1. माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालक निदेशक, क्रिस्प, भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पत्र को समिति, सचिवालय के वेबसाईट के होमपेज पर अपलोड करें तथा सत्र 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के शुल्क विनियमन कराये जाने वाली संस्थाओं को ईमेल/एस.एम.एस. करते हुये उनके वेबपोर्टल पर उपलब्ध करावें।

–sd–
(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी

शपथ पत्र

संस्था का नाम –

सोसायटी ट्रस्ट का नाम –

यूजर नेम –

पाठ्यक्रम का नाम –

सत्र 2019–20 में विनियमित किये गये शुल्क की जानकारी –

मैं अपनी संस्था के उपरोक्त पाठ्यक्रम के सत्र 2019–20 तक के लिए विनियमित किये गये शुल्क को वर्तमान/आगामी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सत्रों के लिये यथावत रखे जाने का निवेदन करता हूँ। तद्नुसार मुझे सुनवाई की उपस्थिति से विमुक्त करते हुये, शुल्क से संबंधित आदेश जारी करने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष/सचिव/संचालक